"पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड"
विद्युत वितरण उपखण्ड--हल्दी
बलिया—277402

CIN-U31200U92003SGC027461

Email: sdo.haldi@puvvnl.in

पत्रांकः—...647.../वि0वि0उ0ख0 हल्दी

दिनांक—29/08/2025

विषयः— कार्यालय पत्राकं 2896/वि0वि0खण्ड—बैरिया दिनाकं 06.08.2025 के संबंध में।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ
बैरिया,बलिया।

ई0मेल एवं व्हाट्सऐप्प द्वारा भी

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री धमेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 तारा प्रसाद तिवारी द्वारा श्री अशोक राम पुत्र स्व0 गोसाई राम, ग्राम—नीरूपुर पर लगाये गये आरोप के सम्बंध में निम्नवत विवरण प्रस्तुत है।

1. श्री अशोक कुमार राम पुत्र स्व0 गोसाई राम ग्राम—नीरूपुर ससमय डूयुटी पर उपस्थित रहते है डूयूटी के अतिरिक्त अगर ये कुछ करते है तो उसका पता हम लोगों को नहीं है, इनके पास तकनीकी डिग्री नहीं है इसलिए इनकी नियुक्ती मेस0 ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनस्किल्ड में किया गया है।
2. श्री धर्मेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 तारा प्रसाद तिवारी निवासी निरूपुर द्वारा लगाये गयें मिनी गुण्डा एक्ट एवं महिलाओं से छेड़छाड़ के सम्बंध में आरोप को राही साबित करने के लिए शिकायतकर्ता मुकदमा संख्या एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिससे इसकी सही जानकारी हो पाये।
3. श्री अशोक राम पुत्र स्व0 गोसाई राम ग्राम—नीरूपुर का अब तक किसी बिजली चोरी में संलिप्तता सामने नहीं आयी है इनका स्वंय बिजली खाता संख्या—1277045000 है जिसका बिल भुगतान होता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नकः— विद्युत बिल जमा पर्ची।

उपखण्ड अधिकारी
(वि0वि0उ0ख0 हल्दी)

M/s Globtech
Clarification Accepted
EE
29.08.2025

प्रेषक :
अशोक कुमार राम
पुत्र - गोसाई राम
निवासी - निरुपुर, पो० - सीताकुण्ड थाना - हल्दी जिला - बलिया
दिनाँक - 16/08/2025
प्रति,
सहायक प्रबंधक (कार्मिक) ग्लोबटेक क्रिस्शन प्रा. लि.
विषय : स्पष्टीकरण पत्र के संदर्भ में
महोदय
सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा दिनाँक 08-08-2025 को प्रेषित स्पष्टीकरण पत्र मुझे प्राप्त हुआ है इस संबंध में मेरा उत्तर निम्नानुसार है -

1. सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हुँ कि मेरे उपर लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं असत्य है मैने अपनी सेवा अवधि के दौरान सदैव नियमो एवं आदेशो का पालन किया है।
2. पत्र में उल्लिखित "अवैध गतिविधियां एवं विद्युत चोरी में संलिप्तता संबंधि आरोपो से मेरा कोई संबंध नही है उक्त घटनाओ की सत्यता की उचित जाँच कराई जाए तथा वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
3. मैं विभाग से अनुरोध करता हुँ कि कृपया निष्पक्ष जाँच कराई जाए।

अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपो को निराधार मानते हुए मुझे दोषमुक्त किया जाए।

भवदीय
अशोक कुमार राम
मो० 9519537461

Forwarded
[signature]
ZAL.
Dubhad,
19/08/25

[signature]
SDO (Haldi)
19.08.25

"सुलहनामा"

प्रथम पक्ष: धर्मेन्द्र तिवारी पुत्र: स्व: ताराप्रसाद तिवारी
ग्रा०-नीमपुर, पो०-सीताकुण्ड, थाना-हल्दी
जनपद- बलिया

द्वितीय पक्ष: अशोक पासवान पुत्र स्व: जोखाई पासवान,
गुड्डु व गुगु पासवान पुत्रगण गोरख पासवान, ललिता पत्नी भुल्ला पासवान

हम दोनो पक्षो के बीच पिछले महीने, मे दिनांक: 22-07-025 को जमीनी मे ~~विवाद~~ निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी सूचना हम दोनों पक्षो ने थाना: हल्दी को दिए, चूंकि यह जमीन का विषय, उपजिलाधिकारी सदर, बलिया, और राजस्व टीम के संज्ञान मे है, इसलिए हम दोनों पक्ष आपसी सहमति से, बिना किसी दबाव के यह समझौता कर रहे है कि उक्त विवादित जमीन पर आगामी 45 दिनों तक कोई निर्माण कार्य नही करेंगे, जब तक कि राजस्व टीम का कोई न्यायोचित निर्णय इस विषय पर न प्राप्त हो।

प्रथम पक्ष: धर्मेन्द्र

गवाह 1→ [illegible]

गवाह 2→ आदित्यनाथ तिवारी

द्वितीय पक्ष: अशोक पासवान

दिनांक: 06-08-025